

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़  
/त.शा.-2/F-116/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2021 अटल नगर, दिनांक

कमांक  
प्रति,

श्री व्ही.व्ही. देशमुख  
सहायक निदेशक,  
शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल(प.क्षे.)  
न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सेंकण्ड फ्लोर  
ए.टी.आई. केम्पस, वी.एन. पूरव मार्ग,  
सायन, मुम्बई- 400022  
E-Mail:- vikramboat@gmail.com

विषय:- रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु प्रशिक्षु का चयन बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का आदेश कमांक 187 दिनांक 17.12.2021 (पत्र कमांक 6912 दिनांक 17.12.2021)

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के द्वारा कुमारी दीपा निर्मलकर (सिविल इंजीनियर, डिग्री) इन्रोलमेंट कमांक WCTG001201100006 का प्रशिक्षण हेतु रिक्त स्थान के विरुद्ध चयन किया गया था। टंकण त्रुटि होने के कारण आदेश में सिविल इंजीनियर के स्थान पर कम्प्युटर इंजीनियर अंकित हो गया है। अतः संशोधन अनुसार कम्प्युटर इंजीनियर के स्थान पर सिविल इंजीनियर पढ़ा जावे। शेष शर्तें एवं विवरण यथावत रहेंगे।

संलग्न-शून्य

अधीक्षण अभियंता एवं  
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम),  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

पृ.क. 6945 /त.शा.-2/F-116/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2021 अटल नगर, दिनांक 21.12.2021  
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिलासपुर, परिक्षेत्र बिलासपुर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर प्रेषित कर निर्देश है, कि कृपया विभागीय वेबसाइट में अपलोड करें।
3. कुमारी दीपा निर्मलकर, प्रशिक्षु, ट्रेड सिविल इंजीनियर, डिग्री, पता:- कतियापारा, दुर्गा चौक, जुना बिलासपुर, पिन कोड- 495001 छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. लेखा शाखा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यालयीन नस्ती।

सहपत्र:- शून्य

अधीक्षण अभियंता एवं  
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम),  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

**कार्यालय प्रमुख अभियंता**  
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**  
**इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़**

कमांक 1967 / त.शा.-2/F-116/2021-22/ प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2021 अटल नगर, दिनांक 17.12.2021

// आदेश //

शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई के निर्देशानुसार अप्रेन्टिस एक्ट 1961 (यथा संशोधित) की धारा-8 (3ए) के तहत रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उपलब्ध प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित प्रशिक्षु को 01 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक छात्रवृत्ति की दर पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु चयन कर आदेशित किया जाता है :-

कं.	प्रशिक्षु का नाम	मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त इनरॉलमेंट नंबर	श्रेणी	डिग्री/ डिप्लोमा	कार्यालय का नाम
<b>कम्प्युटर इंजीनियरिंग</b>					
01.	कु. दीपा निर्मलकर	WCTG001201100006	सामान्य	डिग्री	मुख्य अभियंता बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर

**उपरोक्त चयन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है -**

1. आदेश दिनांक से 10 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करना होगा। निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर चयन निरस्त किया जावेगा।
2. प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 यथा संशोधित में उल्लेखित समस्त शर्तें लागू होंगी।
3. उपस्थिति उपरांत प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षु मण्डल द्वारा अनुबंध सृजन (Contract creation) हेतु मांगी जाने वाली सहमति दिया जाना आवश्यक होगा। सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण हेतु चयन निरस्त माना जावेगा।
4. प्रशिक्षु द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनिकी संधारित किया जाना होगा।
5. प्रशिक्षु द्वारा द्विमाही जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से भरकर भेजना होगा।
6. प्रशिक्षण के दौरान डिग्रीधारी प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति के रूप में रु. 9000.00 प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी को रु. 8000.00 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
7. छात्रवृत्ति भुगतान उपरान्त बैंक स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
8. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश एवं 15 मेडिकल अवकाश की पात्रता रहेगी तथा समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा।
9. प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा, त्याग पत्र के मान्य कारण (i) गंभीर बीमारी (ii) उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश (iii) किसी विभाग में नियुक्ति होना निर्धारित है। बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु को 03 माह की छात्रवृत्ति की राशि विभाग में जमा करनी होगी।
10. प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर चयन निरस्त किया जा सकता है।
11. **प्रशिक्षण के पश्चात् विभाग नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा।**
12. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थाई प्रमाण पत्र मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त होगा।

प्रारूप प्र.अ. द्वारा अनुमोदित।

**अधीक्षण अभियंता एवं**  
**नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम),**  
**कार्यालय प्रमुख अभियंता**  
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**  
**छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर**

P.T.O.

पृ.क. 6912/त.शा.-2/F-116/2021-22/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2021 अटल नगर, दिनांक 17.12.2021  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक निर्देशक शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), ए.टी.आई. कैम्पस वी.एन. पूरव मार्ग सीओन, मुंबई 400022 की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 139 दिनांक 09.01.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि पत्र में उल्लेख अनुसार संशोधित अनुपात अनुसार 19 प्रशिक्षुओं के कोटे को पूर्ण करने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिलासपुर, परिक्षेत्र बिलासपुर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित है, कि कृपया संबंधित प्रशिक्षु की उपस्थिति निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समयावधि पश्चात संबंधित की उपस्थिति/अनुपस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षु की उपस्थिति पश्चात् हर माह की 10 तारीख तक छात्रवृत्ति का भुगतान करें साथ ही विभागीय वेबसाइट की निर्धारित लिंक/महत्वपूर्ण लिंक में प्रशिक्षु मॉड्यूल में जाकर प्रशिक्षुओं से संबंधित समस्त जानकारी अपडेट करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
4. कार्यपालन अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि कृपया विभागीय वेबसाइट में अपलोड करें।
5. कुमारी दीपा निर्मलकर, प्रशिक्षु, ट्रेड सिविल इंजीनियर, डिग्री, पता:- कतियापारा, दुर्गा चौक, जुना बिलासपुर, पिन कोड- 495001 छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति आदेश दिनांक से 10 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करें। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर चयन निरस्त किया जा सकेगा। आपके द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनंदिनी संधारित किया जायेगा दैनंदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र संलग्न है।
6. लेखा शाखा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
7. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

सहपत्र:- दैनंदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र क्रमांक 04 के लिये।

प्रारूप प्र.अ. द्वारा अनुमोदित।

अधीक्षण अभियंता एवं  
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम),  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

17.12.21